


राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

सूचना का अधिकार
(सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत)

हस्तपुस्तिका



कौशल बलम्



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, डब्लू.6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर
फोन नं. 0291-2432290

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि :-

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 दिनांक 15.06.2005 से प्रभावशील किया है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है। राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे राजकीय कार्य में पारदर्शिता लाने एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम की सफल क्रियान्विति के मध्य-नजर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर के द्वारा यह हस्तपुस्तिका तैयार की गई है।

1.2 उद्देश्य एवं उपयोगिता :-

विद्यार्थियों तथा जनता को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर से सम्बन्धित सूचनायें सुलभ कराना।

1.3 हस्तपुस्तिका जिन व्यक्तियों/स्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए हैं :-

यह हस्तपुस्तिका राजकीय सह शिक्षा व महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों, अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं जन साधारण के लिए उपयोगी है।

1.4 प्रारूप :-

हस्तपुस्तिका में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर के समस्त कार्यकलापों की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई गई है।

1.5 परिभाषाएं :-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात नहीं हो "परिभाषाओं" के अन्तर्गत परिभाषित पदों के भाव नीचे स्पष्ट किये अनुसार हैं :-

प्रशिक्षण:	का तात्पर्य औद्योगिक प्रशिक्षण से है।
निदेशक:	का तात्पर्य निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर से है।
संयुक्त निदेशक:	का तात्पर्य संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ,प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर से है।
संबद्ध संस्थान:	का तात्पर्य निदेशालय से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से है।
आचार्य/अधीक्षक:	का तात्पर्य संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधान से है तथा इसमें जब कोई आचार्य/अधीक्षक नहीं हो तो कुछ समय के लिए नियुक्त व्यक्ति, जो प्रभारी का काम देखते हैं, सम्मिलित हैं।
प्रशिक्षणार्थी :	का तात्पर्य उस प्रशिक्षणार्थी से है जो निदेशालय से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पाठ्यक्रम को नियमित अध्ययन एवं प्रशिक्षण से पूरा करता है।
भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी:	का तात्पर्य उस छात्रा से है जो किसी सत्र में नियमित रह कर निदेशालय द्वारा आयोजित किसी सैद्धान्तिक या प्रायोगिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तथा निदेशालय द्वारा आयोजित सैद्धान्तिक या प्रायोगिक परीक्षाओं में पुनः एक या एक से अधिक विषयों में बैठता है।
वर्ष:	का तात्पर्य पाठ्यक्रम अवधि के प्रशिक्षण सत्र से है।
परीक्षा:	का तात्पर्य निदेशालय द्वारा या उसकी ओर से आयोजित परीक्षा तथा जिसके परिणाम निदेशालय द्वारा घोषित किये जाते हैं, से है।

1.6 विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क व्यक्ति:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	राज्य लोक सूचना अधिकारी / अपील अधिकारी
1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर।	उप निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।	निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) कार्यालय जयपुर	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) कार्यालय जयपुर	
3	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर	
4	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर	
5	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय कोटा	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय कोटा	
6	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर	
7	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर	
8	उपनिदेशक(प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर	
9	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र जयपुर	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र जयपुर	
10	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र जोधपुर	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र जोधपुर	
11	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र उदयपुर	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र उदयपुर	
12	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र कोटा	प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र कोटा	
13	आर.आई सेन्टर जयपुर	आर.आई सेन्टर जयपुर	
14	आचार्य/अधीक्षक औ0प्र0संस्थान समस्त	आचार्य/अधीक्षक औ0प्र0संस्थान समस्त	

1.7 अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क:-

- जिस कार्यालय से संबंधित सूचना चाहिए उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पदनाम से संबंधित कार्यालय को आवेदन करेंगे।
- प्रार्थना पत्रा शुल्क रुपये 10/- (अक्षरे रुपये दस मात्रा) होगा व संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम देय होगा।
- हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना निम्नलिखित शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है :-
 - ए 4/ए 3 के नाप के पेपर में तैयार किया हुआ अथवा प्रतिलिपि रुपये 2/- (अक्षरे रुपये दो मात्रा) प्रति पृष्ठ अथवा निदेशालय द्वारा निर्धारित शुल्क।
 - बडी साईज के पृष्ठ सही लागत अथवा मूल्य अथवा निदेशालय द्वारा निर्धारित शुल्क।
 - सेम्पल अथवा मॉडल के लिए सही कीमत अथवा मूल्य अथवा निदेशालय द्वारा निर्धारित शुल्क।
 - लेखों (सम्बन्धित) की जाँच के लिए प्रथम एक घण्टा तक कोई शुल्क नहीं होगा तथा इसके पश्चात् रुपये 5/- (अक्षरे रुपये पांच मात्रा) प्रति 15 मिनट अथवा उसके भाग पर।
 - सूचना कपोमजजम वत सिवचचल रुपये 50/- (अक्षरे रुपये पच्चास मात्रा) प्रति कपोमजजम वत सिवचचल^ण

उपरोक्त शुल्क राशि भारतीय पोस्टल आर्डर, नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक के माध्यम से सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर / संबंधित लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय / उत्पादन केन्द्र / आर0आई0 सेन्टर / समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आचार्य/अधीक्षक के नाम देय हो। सूचना कार्यालय में आवेदन पत्रा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रदान की जावेगी।

अध्याय –2

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्त्तव्य

2.1 उद्देश्य :-

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर में राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए उपयुक्त नियम व नियमन, व डी0जीई0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने तथा उन्हें बनाये रखने, परीक्षाएं आयोजित करने तथा निदेशालय से संबद्ध संस्थानों में चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को परिक्षा में उत्तिग उपरान्त व्यावसायिक प्रमाण-पत्रा तथा अन्य शैक्षिक विशेष योग्यतायें प्रदान करना।

2.2 मिशन/विजन :-

मिशन : उद्योगों व समाज को तकनीकी जनशक्ति, सूचना, सलाह इत्यादि प्रदान करना जिससे उद्योग जगत व समाज बदलती तकनीकी व पर्यावरणीय चुनौतियों का सफलता से सामना कर सकें।


विजन : उद्योगों की मांग के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना व विद्यार्थियों का सर्वांगिन विकास करना ताकि वे समाज मे अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

2.3 संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :-

तकनीकी शिक्षा निदेशालय की स्थापना 17 अगस्त, 1956 में हुई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। निदेशालय की प्रशिक्षण शाखा अनुभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियन्त्राण तथा शिक्षता प्रशिक्षण योजना सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखा एवं योजना कार्यों के लिए लेखा शाखा एवं योजना शाखा अलग से कार्यरत है।

2.4 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण शाखा) के कर्त्तव्य, मुख्य कृत्य व प्रदत् सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण:-

1. राज्य सरकार को विकास, प्रबन्धन तथा पुनर्वीक्षण सम्बन्धी समस्त मुद्दों पर शिल्पकार प्रशिक्षण की नीति निर्धारण में सलाह प्रदान करेंगे।
2. विभाग के प्रधान के रूप में समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक प्रशिक्षण, आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रबन्धन के प्रति उत्तरदायी होंगे।
3. राज्य में तकनीकी प्रशिक्षित शिल्पकारों के दीर्घ व लघु अवधि आवश्यकताओं की जनशक्ति योजना हेतु उत्तरदायी होंगे।
4. शिल्पकार प्रशिक्षण (प्रशिक्षण शाखा) की पंचवर्षीय योजनाएँ, आर्थिक योजना प्रस्ताव व बजट तैयार करने के उत्तरदायी होंगे।
5. विभाग के कार्यों को प्रभावी तौर पर चालू करने के लिए विभाग (प्रशिक्षण शाखा) के विकास क्रिया-कलापों को आयोजित करेंगे तथा स्टाफ कल्याण हेतु समस्त विषयों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करेंगे।
6. नये निजी संस्थानों के संबंधन के मानक तैयार करेंगे तथा सहायता अनुदान मुद्दों पर राज्यसरकार को सलाह प्रदान करेंगे।
7. शीर्ष निकायों (जैसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप, राजकीय तथा अराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास हेतु शीर्ष निकायों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दिलाने हेतु सलाह मांगने/प्रदान करने का कार्य करेंगे।
8. शिल्पकार प्रशिक्षण के अनुसार अपडेटिंग तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रणाली का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगे।



2.6 कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं एवं जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था:-

1. जन साधारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु सकारात्मक सुझाव आमंत्रित है।
2. जनता विद्यार्थियों के चारित्रिक एवं सर्वांगीण विकास में प्रभावी रूप से अभिभावक / संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करें।
3. जनता अपने सुझाव, निदेशक(प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नाम पत्रा के द्वारा सुझाव पेट्टी में प्रस्तुत कर सकती है एवं निदेशालय से सम्बद्ध संस्थाओं के आचार्य/अधीक्षक के माध्यम से भी सुझाव दिये जा सकते हैं।

2.7 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-

निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2.8 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों/संस्थानों के पते :-

मुख्य कार्यालय:- लोक सूचना अधिकारी

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान,डब्ल्यू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय:- लोक सूचना अधिकारी

1. संयुक्त निदेशक शिक्षता, प्राविधिक शिक्षा, बनीपार्क, जयपुर
2. उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, (महिला आई0टी0आई0 परिसर), बनीपार्क, जयपुर
3. उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, (आई0टी0आई0 परिसर), माखुपुरा, अजमेर
4. उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, (पॉलीटेक्नीक परिसर), कोटा
5. उप राज्य शिक्षता सलाहकार एवं उप निदेशक प्रशिक्षण, (आई0टी0आई0 परिसर), हिरण-मगरी, उदयपुर
6. उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 9वीं पाल रोड, सरदारपुरा, जोधपुर
7. उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, (महिला आई.टी.आई के पास पटेल नगर, वल्लभ गार्डन रोड बीकानेर)

संबद्ध संस्थानों के पते:-लोक सूचना अधिकारी समस्त संस्थान आचार्य/अधीक्षक

क्र सं	संबद्धता प्राप्त संस्थान
1.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
2.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
3.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा (जयपुर)
4.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटपुतली (जयपुर)
5.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अमेर (जयपुर)
6.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दूदू (जयपुर)
7.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांभर (जयपुर)
8.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कारागृह, जयपुर
9.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर
10.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, अलवर
11.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़ (अलवर)
12.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवाड़ी (अलवर)
13.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थानागाजी (अलवर)
14.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौलपुर
15.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजाखेड़ा (धौलपुर)
16.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर
17.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कामां (भरतपुर)
18.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बयाना (भरतपुर)
19.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दौसा
20.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करौली
21.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सवाई-माधोपुर
22.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीकर
23.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर (सीकर)
24.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतड़ी (झुंझनु)
25.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिड़ावा (झुंझनु)
26.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिजूसर (झुंझनु)
27.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना (अलवर)
28.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
29.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
30.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फलौदी (जोधपुर)
31.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पीपाडसिटी (जोधपुर)
32.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाडमेर
33.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोतरा (बाडमेर)
34.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवाणा (बाडमेर)
35.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर
36.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोकरण (जैसलमेर)

37.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जालोर
38.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीवाड़ा (जालोर)
39.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरोही
40.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबूरोड (सिरोही)
41.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवगंज (सिरोही)
42.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाली
43.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोजतसिटी (पाली)
44.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देसूरी (पाली)
45.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जेतारण (पाली)
46.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फालना (पाली)
47.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
48.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
49.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मावली (उदयपुर)
50.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सलुम्बर (उदयपुर)
51.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटड़ा (उदयपुर)
52.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धरियावद (उदयपुर)
53.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खैरवाड़ा (उदयपुर)
54.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाथद्वारा (राजसमंद)
55.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आमेट (राजसमंद)
56.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांसवाड़ा
57.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागीदौरा (बांसवाड़ा)
58.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर
59.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सागवाड़ा (डूंगरपुर)

60.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़
61.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, कपासन (चित्तौड़गढ़)
62.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, अरनोद (चित्तौड़गढ़)
63.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
64.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
65.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
66.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
67.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
68.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ब्यावर (अजमेर)
69.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केकड़ी (अजमेर)
70.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोंक
71.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोडारायसिंह (टोंक)
72.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा
73.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा
74.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
75.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
76.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
77.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गंगापुर (भीलवाड़ा)
78.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नागौर
79.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुचामनसिटी (नागौर)
80.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेड़तासिटी (नागौर)
81.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बीकानेर
82.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बीकानेर
83.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर
84.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
85.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़
86.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
87.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरू
88.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रतनगढ़ (चुरू)
89.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुजानगढ़ (चुरू)
90.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
91.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
92.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगोद (कोटा)
93.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर (कोटा)
94.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी
95.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाखेरी (बून्दी)
96.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़
97.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिडावा (झालावाड़)
98.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बकानी (झालावाड़)
99.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भवानीमण्डी (झालावाड़)
100.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अकलेरा (झालावाड़)
101.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केशोरायपाटन (बून्दी)

102.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारां
103.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्ता (बारां)
104.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छबड़ा (बारां)
105.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अटरू (बारां)
106.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तालेड़ा (बून्दी)
107.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फागी (जयपुर)
108.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर (जयपुर)
109.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौमू (जयपुर)
110.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रेणी (अलवर)
111.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झुन्झुनू
112.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाडी (धौलपुर)
113.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खुन्द (सीकर)
114.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालेसर (जोधपुर)
115.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लुणी (जोधपुर)
116.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिव (बाड़मेर)
117.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगढ़ (अजमेर)
118.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैल, अजमेर
119.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उँच्चा (भीलवाड़ा)
120.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर (झालावाड़)
121.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेराबाद (कोटा)
122.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा (बांरा)
123.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नौखा (बीकानेर)
124.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करणपुर (श्रीगंगानगर)
125.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगू (चित्तौड़गढ़)
126.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजसमन्द
127.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बाप कैम्प फलोदी
128.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,रामसर कैम्प बाड़मेर
129.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,संगरिया कैम्प हनुमानगढ़
130.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,मकराना कैम्प नागौर
131.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,खी- नागौरियन कैम्प जयपुर
132.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पहाडी कैम्प कांमा
133.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,किशनगढ़बास कैम्प अलवर
134.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,तिजारा कैम्प अलवर
135.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पदमपुर कैम्प सूरतगढ़
136.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,छतरगढ़ कैम्प बीकानेर
137.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,किशनगजं कैम्प
138.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बानसूर
139.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नादौति
140.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालरापाटन
141.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सैपउ
142.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सपोटरा
143.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खण्डार
जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र (उत्पादन केन्द्र)	
144.	प्रबन्धक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, जयपुर
145.	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, कोटा
146.	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, उदयपुर
147.	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, जोधपुर

2.9 मुख्य कार्यालय – प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर के खुलने का समय : प्रातः 09.30 बजे
कार्यालय के बन्द होन का समय : सांय 6.00 बजे

अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य,

3.1 अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य:— निदेशालय के निम्नांकित अधिकारी निदेशक (प्रशिक्षण) के निर्देशन में विद्यमान नियमों, निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत निम्नानुसार कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) निदेशालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग, सामंजस्य व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (ii) निदेशक, (प्रशिक्षण) के अवकाश / प्रवास के दौरान निदेशालय की सामान्य कार्य व्यवस्था देखना।
- (iii) निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा की ओर से आवश्यकतानुसार विभिन्न बैठकों, समितियों, सम्मेलनों इत्यादि में प्रतिनिधित्व करेंगे।

2. संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षुता) प्रशिक्षण के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) मुख्यालय जयपुर से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को राज्य में अधिनस्थ संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित करवाना, इस हेतु उद्योग प्रतिष्ठानों का सर्वे,रिसर्वे करवाना, शिक्षुओं की नियुक्ति, शिक्षुओं को मानदेय का भुगतान करवाना, शिक्षुता प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा का आयोजन करवाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच इत्यादी कार्यों से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण एवं निरीक्षण सम्बन्धित समस्त कार्य।
- (ii) उद्योग प्रतिष्ठानों के माध्यम से शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन करवाना।
- (iii) राज्य शिक्षुता परिषद की बैठक का आयोजन करवाना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन करवाना।
- (iv) शिक्षुता प्रशिक्षण से संबंध में आयोजित विभिन्न बैठकों, समितियों व सम्मेलनों में निदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशानुसार प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना।
- (v) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के संबंध में समय-समय पर डीजीईएण्डटी नई दिल्ली तथा आरडीएटी फरीदाबाद द्वारा जारी निर्देशों को अधिनस्था संस्थानों/उद्योग प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करवाना तथा तदनुसार अनुपालना करवाना।

3. उप-निदेशक, (योजना) के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (i) विभागीय योजनाओं की सांख्यिकी व आयोजना संबंधी समस्त कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (योजना) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

4. उप निदेशक (स्थापना) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) स्थापना शाखा संबंधित समस्त कार्य, सूचना का अधिकार संबंधी कार्य, अनुदेशक प्रशिक्षण संबंधी कार्य, अनुदेशक नियुक्ति संबंधी कार्य तथा अधिनस्थ अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण संबंधी समस्त कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (स्थापना) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

5. उप निदेशक (सीटीएस) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) दस्तकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अधिनस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रवेश कार्य, विवरणिका, प्रवेश उपरान्त अनुमोदन कार्य, प्रशिक्षणार्थियों का स्थानांतरण, पाठ्यक्रमों की समीक्षा/संशोधन, नई संस्थानों की स्थापना इस हेतु एनसीवीटी संबंधित संबंधी कार्य, आरमोल, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा एस.सी., एस.टी. अल्प संख्यक व महिला संबंधी योजनाओं के समस्त कार्य, छात्रवृत्ति आदि।
- (ii) विधान सभा व लोकसभा प्रश्नों के लिये नॉडल अधिकारी का कार्य।

- (iii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी जनसहभागिता योजना का कार्य।
- (iv) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रकार के आकस्मिक व नियमित निरीक्षणों की मॉनिटरिंग का कार्य।
- (v) पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (सीटीएस) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

6. उप निदेशक (क्रय) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

प्रोजेक्ट अधिकारी (प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई)

- (i) आयोजना/आयोजना भिन्न एवं टीएडी अथवा अन्य से प्राप्त समस्त प्रकार के फण्ड्स जो कि निदेशालय को प्राप्त होते हैं, का उपयोग (यथा मशीनरी एवं साजो सामान क्रय, भवन निर्माण एवं संधारण, औद्योगिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित अन्य कार्यो इत्यादि हेतु) का उपयोग सुनिश्चित करना।
- (ii) वीटीआईपी योजना के तहत **SPIU** की **Procurement Unit** का कार्य
- (iii) **SDF** संबंधी क्रय का समस्त कार्य।
- (iv) केन्द्रीय भण्डार का कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व तकनीकी अधिकारी (अधीक्षक), उप निदेशक (क्रय) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

7. उप निदेशक (परीक्षा) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा संबंधी समस्त कार्य, जिसमें उतर पुस्तिकाओं की जाँच करवाकर परीक्षा परिणाम जारी करना, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण-पत्र जारी करना, इत्यादी।
- (ii) आरसीवीईटी द्वारा सम्पादित समस्त कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (परीक्षा) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

8. उप निदेशक (स्कीमस अदर देन सीटीएस) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) सीओई (डोमेस्टिक), सीओई 1396 (पीपीपी) व वीटीआईपी योजना के अन्तर्गत आईडीपी, मॉनिटरिंग एवं इवैल्युशन संबंधित समस्त कार्य।
- (ii) एसडीआई योजना, राज्य में जू स्थापना, संस्थान विकास कोष, राष्ट्रीय/राज्य स्किल डवलपमेन्ट मिशन, उत्पादन केन्द्र योजना एवं शिक्षता प्रशिक्षण योजना संबंधी कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (सीटीएस के अलावा) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

9. उप निदेशक प्रशिक्षण (भूमि एवं भवन), प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) विभागीय संस्थानों हेतु भूमि का आवंटन व भवन निर्माण संबंधी कार्य।
- (ii) उद्योग प्रतिष्ठानों के साथ होने वाले एमओयू संबंधी कार्य, निर्माण एकेडमी संबंधी कार्य।
- (iii) राज्य स्तरीय बैठकों का फोलोअप इत्यादी कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (भूमि एवं भवन), के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

10. उप निदेशक (ITCell) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- 1^प विभाग की सूचना तकनीकी संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना व क्रियान्वित करना जिसमें **Web Site** का निर्माण व संधारण करना।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (**ITCell**) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

11. वित्तीय सलाहकार, प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

समस्त वित्तीय मामलों में वित्तीय सलहाकार, अधिनस्थ सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के सहयोग करेंगे। जिसमें विभाग का बजट तैयार करना, बीएफसी में बजट आवंटन करवाना, आंतरिक निरीक्षण करवाना, महालेखाकार राजस्थान के कार्यालय में लेखों का समाधान करना, सीएजी प्रतिवेदन, चोरी/गबन प्रकरण, विनियोग लेखे, ओ.बी. आईटम, तत्यात्मक प्रतिवेदन, ड्राफ्ट पैरा, जनलेखा समिति व ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट, पीडी खाते, संस्थान विकास कोष एवं विविध कार्य, प्रि-चैक कार्य, लेखा राय, वेतन स्थिरीकरण प्रकरण, भौतिक सत्यापन, निलामी संबंधी कार्यवाही वार्षिक कार्य मूल्यांकन, पेंशन संबंधी प्रमाण-पत्र स्थापना संबंधी कार्य, अंक मिलान कार्य, क्रय या प्रकरण की जांच, 1396 ऑडिट कार्य, टज्ज योजना के तहत SPIU की Finance Unit का कार्य, महालेखाकार, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान तथा आंतरिक ऑडिट पार्टी की निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्यवाही करना। अंतिम अधिक्त्य/बचत विवरणों को प्रस्तुत करना। वेतन स्थितिकरण मामलों का निष्पादन करना। वित्त संबंधी समस्त मामलों पर निदेशक प्राविधिक शिक्षा को परामर्श देना।

शाखा में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

12. उप निदेशक, प्रशिक्षण (प्रभारी विधि शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

विभाग के समस्त न्यायिक प्रकरणों से संबंधित कार्य, जिसमें कानूनी राय, प्रकरणों पर पैरवी करना, प्रकरणों से संबंधित सभी पत्रावलियों का संधारण इत्यादी।

13. कार्यालयाध्यक्ष

- (i) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय व्यवस्थापन संबंधित समस्त कार्य जिसमें मुख्यालय पर पदास्थापित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश, स्वीकृति, वेतन, सेवा रिकार्डस का संधारण इत्यादी।

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची

क्र.स.	पदनाम	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
1.	निदेशक प्रशिक्षण	श्री ए0 के0 आनन्द
2.	संयुक्त निदेशक	श्री अरुण कुमार गुप्ता
3.	वित्तीय सलहाकार	श्री अमिताभ योगानन्दी
4.	उप निदेशक	श्री एन. के. गुप्ता श्री एस.के. खण्डेलवाल श्री सुनील जोशी श्री हितेश कुमार गर्ग श्री एन. के. वर्मा श्री मुनीष कुमार शर्मा श्री धर्मेन्द्र शर्मा श्री लुभाष चन्द्र राठौड़
5.	सहायक निदेशक	श्री पवन कुमार छाबडा श्री कैलाश शर्मा श्री सुरेश शर्मा
6.	अधीक्षक	श्री के.पी.व्यास श्री मोहम्मद राहत हुसैन श्री हुकमसिंह राठौड़ श्री जगदीश प्रसाद
7.	परीक्षा अधीक्षक	श्री रविन्द्र सिंह राठौड़
8.	तकनीकी अधिकारी	अनिल जैफ
9.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	श्री मनीष उपाध्याय
10.	लेखाधिकारी	श्री सुरेश छंगाणी
11.	सहायक लेखाधिकारी	
12.	सहायक शिक्षुता सलहाकार	श्री जगदीश चन्द्र माथुर

क्रस.	पदनाम	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
13	समूह अनुदेशक	श्री प्रेमसुख पारीक श्री महेन्द्र भाटी श्री जितेन्द्र कुमार सॉलकी श्री पुखराज पंवार श्री जयप्रकाश शर्मा श्री दिनेश गहलोत शालिनि महेचा श्री जगदीश व्यास श्री सुनील कुमार व्यास श्री अजय व्यास श्रीमति उमा चौहान श्री नवीन डाबी श्री प्रमोद कुमार श्री तरणजीत सिंह
14	स्टोर अनुदेशक	श्री प्रेम प्रकाश राठौड श्री भवानी शंकर पारीक
15	तकनीकी सहायक	
16	वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुदेशक	श्री राजेश जोशी श्री अरुण गहलोत श्री शैलेश कुमार श्री शकील अहमद काजी श्री मोहम्मद सलीम
17.	आर.आई अनुदेशक	श्री जितेन्द्र ओझा श्री प्रदीप सिधंवी श्री अब्दुल रसीद श्री झुंझारसिंह श्री ओम प्रकाश पुरोहित श्री श्याम बोहरा श्री घीसूलाल जोशी
18	लिव रिजर्व	श्री सूरज प्रकाश काग श्री विश्वविभूति व्यास श्री गणपत शर्मा
19.	लेखाकार	श्री अजीत भाटी श्री भोलाराम चौधरी श्री नारायणराम खदाव श्री मुकेश माथुर
20.	कनिष्ठ लेखाकार	श्री भीखाराम सोलंकी
21	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	श्री योगेश कौशिक श्रीमती प्रीति चाम्बड
22	कम्प्यूटर सिस्टम एनालिसीस्ट	कुमारी सुमन चौधरी (श्री देवेन्द्र गहलोत) पद के विरुद
23	प्रोग्रामर	श्री मोहम्मद रमजान बालीवाल श्री जीवेश अवस्थी
24	सहायक प्रोग्रामर	श्री कमल कुमार शर्मा
25	सूचना सहायक	श्रीमती ज्योति जीनगर श्रीमती मोनिका प्रजापत श्रीमती रेणु चौहान सुश्री मेघा लखमेरा सुश्री प्रियंका भाटी सुश्री नीलम चौधरी श्री विनसेन्ट सी.जसटिन
26	शीघ्र लिपिक	श्री महेन्द्र सॉलकी श्री सी.पी.शर्मा श्री मुन्नालाल प्रजापत
27	कार्यालय सहायक	श्री रूघाराम चौधरी श्री अनिल गौड श्री रणजीतसिंह श्रीमति सरोज

क्रस.	पदनाम	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
		श्री जेठसिंह चौहान श्री मंडलनाथ छंगाणी
28	वरिष्ठ लिपिक	श्री सुनील दत्त व्यास श्री अक्षय कुमार पुरोहित श्री कैलाशचंद राखेचा श्री हरिकिशन स्नेही श्री सत्यनारायण शारदा श्री महेन्द्रसिंह बरडिया श्री अनिल व्यास श्री कैलाश चंद दहिया श्री नरेश सांखला श्री अशोकचंद मूथा श्री सुनील दत्त पुरोहित श्री जितेन्द्र प्रसाद गौड श्री राजेश सिंघवी श्री श्याम सुन्दर जटिया श्री घीसूलाल श्री हेमाराम श्री रामदास सागर श्री आनन्द शर्मा श्री भंवरलाल पंवार श्री चन्द्रप्रकाश बारासा श्री नारायणराम श्री श्यामा तेजी श्रीमती राज्यश्री सांखला श्री नरेन्द्र सैन श्री नाहरसिंह गुर्जर
29	कनिष्ठ लिपिक	श्री रविन्द्र देवडा श्री जितेन्द्र डोसी श्रीमती राखी चौधरी श्री राहुत पंवार श्री अशोक सिंह शेखावत श्री महेन्द्र प्रकाश दवे श्री श्रवणलाल श्री संजय चारण श्री रोहित व्यास श्री मनीष सिसोदिया श्री मोहम्मद रिजवान श्री अशोक कुमार केसवानी श्री प्रदीप माथुर सुश्री सदफ अंसारी श्रीमती कांता मिश्रा श्रीमती अनिता शर्मा श्रीमती वनिता गहलोत
		श्रीमती दीपाली गहलोत सुश्री मोनिका रामदेव श्री प्रकाश चन्द्र आचार्य श्री जैकी अहमद श्री अशोक मीणा श्री विकास दवे श्री राकेश महेचा श्रीमती उमा माथुर श्री विक्रम श्री कपिल खत्री

क्रस.	पदनाम	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
30	वाहन चालक	श्री बाबूलाल श्री कैलाश राव
31	मशीनमैन	श्री सुरेन्द्रसिंह श्री भंवरसिंह भाटी
32	दफतरी	श्री रतनसिंह श्री मदन
33	जमांदार	श्री मोरिस रोबिन्सन
34	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	श्री किशोरसिंह श्री चोलाराम श्री डूगरसिंह श्री बाबूलाल परमार श्री जगदीश सीरवी श्री दौलाराम श्री मुरली श्री अब्दुल सलीम श्री मांगीलाल श्रीमती मधु चौहान श्रीमती भंवरी देवी श्री प्रेमसिंह श्री दौलतराम श्रीमती बेबी देवी श्री नरेश जावा श्री जाकिर हुसैन श्री चैनसिंह श्री भूरसिंह श्री राजेन्द्रसिंह भाटी श्री राहुल आचार्य श्री सुरेश

अध्याय –4

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची :

<p>अभिलेख का नाम :-</p> <p>डी.जी.ई.टी. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के एन.सी.वी.टी. मानदण्ड अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परीक्षा।</p> <p>नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख प्राप्त करने का पता :</p> <p>डी.जी.ई.टी. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम से सम्बन्धित सभी तरह की संगत सूचना के लिए गाईड –</p> <p style="text-align: center;">औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं केन्द्रों हेतु प्रशिक्षण मैन्युअल</p> <p style="text-align: center;">प्रकाशक</p> <p style="text-align: center;">टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, 7, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008</p>
--

अध्याय –5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

निर्धारण हेतु

5.1 जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का प्रावधान :

क्रम संख्या	विषय/ कृत्य का नाम	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1	संस्थान प्रबन्धन समिति (आई0एम0सी0) की बैठक	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग क्षेत्रा से संस्थान प्रबन्धन समिति की बैठक में उद्योगपतियों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

नीति के क्रियान्वयन हेतु

5.2 नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी प्रावधान:

क्रम संख्या	विषय/ कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्कील अपग्रेडेशन (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स)	हाँ	सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स संस्थानों में आई0एम0सी0 का गठन किया गया है।

अध्याय –6

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) के पास या उनके नियंत्राण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों ; बजमहवतपमेद्ध के अनुसार विवरण

1 प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु प्रारूप:-

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/ नियंत्राणाधीन
1	नियम व नियमन	1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के नियम व नियमन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एण्ड एग्जामिनेशन 2. उत्पादन केन्द्रों के नियम व नियमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	निदेशक महोदय को निर्धारित प्रपत्रा में प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत करके, नियमानुसार शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

अध्याय -7

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) से संबंधित सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विवरण

7.1 संबद्ध निकाय का संक्षिप्त विवरण :

क्र. स.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता
1.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
2.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
3.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा (जयपुर)
4.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटपुतली (जयपुर)
5.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आमेर (जयपुर)
6.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दूदू (जयपुर)
7.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांभर (जयपुर)
8.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कारागृह, जयपुर
9.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर
10.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, अलवर
11.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़ (अलवर)
12.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवाड़ी (अलवर)
13.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थानागाजी (अलवर)
14.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौलपुर
15.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजाखेड़ा (धौलपुर)
16.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर
17.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कामां (भरतपुर)
18.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बयाना (भरतपुर)
19.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दौसा
20.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करौली
21.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सवाई-माधोपुर
22.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीकर
23.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर (सीकर)
24.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतड़ी (झुंझनु)
25.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिड़ावा (झुंझनु)
26.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिजूसर (झुंझनु)
27.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना (अलवर)
28.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
29.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
30.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फलौदी (जोधपुर)
31.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पीपाडसिटी (जोधपुर)
32.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाड़मेर
33.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोतरा (बाड़मेर)
34.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवाणा (बाड़मेर)
35.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर
36.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोकरण (जैसलमेर)
37.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जालोर
38.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीवाड़ा (जालोर)

39.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरोही
40.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबूरोड (सिरोही)
41.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवगंज (सिरोही)
42.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाली
43.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोजतसिटी (पाली)
44.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देसूरी (पाली)
45.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैतारण (पाली)
46.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फालना (पाली)
47.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
48.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
49.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मावली (उदयपुर)
50.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सलुम्बर (उदयपुर)
51.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटड़ा (उदयपुर)
52.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धरियावद (उदयपुर)
53.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खैरवाड़ा (उदयपुर)
54.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाथद्वारा (राजसमंद)
55.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आमेट (राजसमंद)
56.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांसवाड़ा
57.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागीदौरा (बांसवाड़ा)
58.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर
59.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सागवाड़ा (डूंगरपुर)
60.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़
61.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, कपासन (चित्तौड़गढ़)
62.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,, अरनोद (चित्तौड़गढ़)
63.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
64.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
65.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
66.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
67.	अधीक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
68.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ब्यावर (अजमेर)
69.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केकड़ी (अजमेर)
70.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टौंक
71.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोडारायसिंह (टौंक)
72.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा
73.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा
74.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
75.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
76.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
77.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गंगापुर (भीलवाड़ा)
78.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नागौर
79.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुचामनसिटी (नागौर)

80.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेड़तासिटी (नागौर)
81.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बीकानेर
82.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बीकानेर
83.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर
84.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
85.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़
86.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
87.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरु
88.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रतनगढ़ (चुरु)
89.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुजानगढ़ (चुरु)
90.	प्रधानाचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
91.	अधीक्षक,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
92.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगोद (कोटा)
93.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर (कोटा)
94.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी
95.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाखेरी (बून्दी)
96.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़
97.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिड़ावा (झालावाड़)
98.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बकानी (झालावाड़)
99.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भवानीमण्डी (झालावाड़)
100.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अकलेरा (झालावाड़)
101.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केशोरायपाटन (बून्दी)
102.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारां
103.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्ता (बारां)
104.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छबड़ा (बारां)
105.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अटरू (बारां)
106.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तालेडा (बून्दी)
107.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फागी (जयपुर)
108.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर (जयपुर)
109.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौमू (जयपुर)
110.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रेणी (अलवर)
111.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झुन्झुनू
112.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाडी (धौलपुर)
113.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खुन्द (सीकर)
114.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालेसर (जोधपुर)
115.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लुणी (जोधपुर)
116.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिव (बाड़मेर)
117.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगढ़ (अजमेर)
118.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैल, अजमेर
119.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उँच्चा (भीलवाड़ा)
120.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर (झालावाड़)

121.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेराबाद (कोटा)
122.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा (बांरा)
123.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नौखा (बीकानेर)
124.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करणपुर (श्रीगंगानगर)
125.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगू (चित्तौड़गढ़)
126.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजसमन्द
108.	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बाप कैम्प फलौदी
128	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,रामसर कैम्प बाडमेर
129	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,संगरिया कैम्प हनुमानगढ़
130	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,मकराना कैम्प नागौर
131	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,खौ- नागौरियन कैम्प जयपुर
132	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पहाड़ी कैम्प कामा
133	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,किशनगढ़बास कैम्प अलवर
134	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,तिजारा कैम्प अलवर
135	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पदमपुर कैम्प , सूरतगढ़
136	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,छतरगढ़ कैम्प बीकानेर
137	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,किशनगर्ज कैम्प
138	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बानसूर
139	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नादौति
140	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालरापाटन
141	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेपऊ
142	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सपोटरा
143	अधीक्षक,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खण्डार
जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र (उत्पादन केन्द्र)	
144	प्रबन्धक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, जयपुर
145	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, कोटा
146	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, उदयपुर
147	अधीक्षक, जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, जोधपुर

अध्याय –8

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम
एवं अन्य विशिष्टियाँ

- 8.1 प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी के सम्बंध में सूचना :-

लोक प्राधिकरण का नाम : प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पद नाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री हितेश कुमार गर्ग	उप निदेशक (प्रशिक्षण)	0291	2430742	-----	2430398	dte.trg.raj@gmail.com	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, डब्लू 6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

विभागीय अपीलैट अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पद नाम	एस. टी. डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री ए.के. आनन्द	निदेशक (प्रशिक्षण)	0291	2432290	2700900	2430398	dte.trg.raj@gmail.com	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, डब्लू 6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

अध्याय –9

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षण में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों हेतु प्रशिक्षण मैनुअल, डी0जी0ई0टी0 भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिये गये नियम व निर्देशों का उपयोग किया जाता है।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया :

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) की बैठक के निर्णयानुसार तथा अतिआवश्यक होने पर क्रमशः निदेशक ,संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) तथा उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा द्वारा निर्णय लिया जाता है।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था :-

- 1 निर्णयों को प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) निदेशालय एवं निदेशालय से सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से।
- 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा / समाचार के रूप में दिया जाकर।
- 3 वेबसाईट के माध्यम से।

9.4 विभिन्न स्तर पर जिन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है:-

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) की बैठक के निर्णयानुसार तथा अतिआवश्यक होने पर क्रमशः निदेशक ,संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा द्वारा निर्णय लिया जाता है।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी :-

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) की बैठक द्वारा तथा अतिआवश्यक परिस्थितियों में निदेशक महोदय द्वारा।

9.6 मुख्य विषय जिस पर प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) द्वारा निर्णय लिया जाता है :

क्र0 सं0	1
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है)	एन0सी0वी0टी0 मानदण्डानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परीक्षा आयोजित कराना।
दिशा – निर्देश (यदि हो तो)	डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश
निर्णय लेने की प्रक्रिया	डी0जी0ई0टी0 के निर्देशानुसार बैठक आयोजित कर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	(अ) पदेन सदस्य :- 1. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	डाक द्वारा, दूरभाष द्वारा
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें?	निदेशक महोदय को प्रार्थना पत्रा द्वारा(स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा)

अध्याय –10

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची:-

कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रस.	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतन श्रृंखला	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
1.	निदेशक (प्रशिक्षण)	01	PB-4 G.P. 8700	श्री ए.के.आनन्द
2.	वित्तीय सलाहकार	01	PB-4 G.P. 8700	श्री अभिताभ योगानन्दी
3	संयुक्त निदेशक प्रशि.	01	PB-3 G.P. 7600	श्री ए.के.गुप्ता
4	उप निदेशक	08	PB-3 G.P. 7200	श्री एन. के. गुप्ता श्री एस.के. खण्डेलवाल श्री सुनील जोशी श्री हितेश कुमार गर्ग श्री एन. के. वर्मा श्री मुनीष कुमार शर्मा श्री धर्मन्द्र शर्मा श्री लुभाष चन्द्र राठौड़
5.	सहायक निदेशक	14	PB-3 G.P. 6600	श्री पवन कुमार छाबडा श्री कैलाश शर्मा श्री सुरेश शर्मा
6.	अधीक्षक	06	PB-3 G.P. 5400	श्री के.पी व्यास श्री मोहम्मद राहत हुसैन श्री हुकमसिंह राठौड़ श्री जगदीश प्रसाद
7.	परीक्षा अधीक्षक	01	PB-3 G.P. 5400	श्री रविन्द्रसिंह राठौड़
8	तकनीकी अधिकारी	01	PB-3 G.P. 5400	श्री अनिल जैफ
	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	PB-2 G.P. 4800	श्री मनीष उपाध्याय
9.	लेखाधिकारी	01	PB-3 G.P. 5400	श्री सुरेश छंगाणी
10	सहायक लेखाधिकारी	02	PB-2 G.P. 4800	
11	सहायक शिक्षता सलाहकार	01	PB-2 G.P. 4800	श्री जगदीश चन्द्र माथुर
12	समूह अनुदेशक	13	PB-2 G.P. 4800	श्री प्रेमसुख पारीक श्री महेन्द्र भाटी श्री जितेन्द्र कुमार सॉलकी श्री पुखराज पवार श्री जयप्रकाश शर्मा श्री दिनेश गहलोत शालिनि महेचा श्री जगदीश व्यास श्री सुनील कुमार व्यास श्री अजय व्यास श्रीमति उमा चौहान श्री नवीन डाबी श्री प्रमोद कुमार श्री तरणजीत सिंह
13	स्टोर अनुदेशक	02	PB-2 G.P. 3600	श्री प्रेम प्रकाश राठौड़ श्री भवानी शंकर पारीक
14	तकनीकी सहायक	01	PB-2 G.P. 3600	

क्रस.	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतन श्रृंखला	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
15	वरिष्ठ / कनिष्ठ अनुदेशक	05	PB-2 G.P. 3600/4200	श्री राजेश जोशी श्री अरुण गहलोत श्री शैलेश कुमार श्री शकील अहमद काजी श्री मोहम्मद सलीम
16.	आर.आई अनुदेशक	07	PB-2 G.P. 3600	श्री जितेन्द्र ओझा श्री प्रदीप सिधंवी श्री अब्दुल रसीद श्री झुंझारसिंह श्री ओम प्रकाश पुरोहित श्री श्याम बोहरा श्री घीसूलाल जोशी
17	लीव रिजर्व अनुदेशक	03	PB-2 G.P. 3600	श्री सूरज प्रकाश काग श्री विश्वविभूति व्यास श्री गणपत शर्मा
18.	लेखाकार	04	PB-2 G.P. 4200	श्री अजीत भाटी श्री भोलाराम चौधरी श्री नारायणराम खदाव श्री मुकेश माथुर
19.	कनिष्ठ लेखाकार	03	PB-2 G.P. 3600	श्री मुकेश माथुर श्री भीखाराम सोलंकी
20.	सहायक सांख्यिकी निरीक्षक	03	PB-2 G.P. 3600	श्री योगेश कौशिक श्रीमती प्रीति चाम्बड
21	कम्प्यूटर	02	PB-1 G.P. 2800	कुमारी सुमन चौधरी
22	प्रोग्रामर	01	PB-2 G.P. 4200	श्री जीवेश अवस्थी
23	सहायक प्रोग्रामर	01	PB-2 G.P. 3600	श्री कमल कुमार शर्मा
24	सूचना सहायक	01	PB-1 G.P. 2800	श्रीमती ज्योति जीनगर
25	कनिष्ठ विधि सहायक	01	PB-2 G.P. 3600	
26.	वरिष्ठ निजी सहायक	01	PB-2 G.P. 4800	
27	शीघ्र लिपिक	04	PB-2 G.P. 3600	श्री महेन्द्र सोलंकी श्री सी.पी.शर्मा श्री मुन्नालाल प्रजापत
28	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशा. अधिकारी	01	PB-2 G.P. 4200	
29	सहायक कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक)	08	PB-2 G.P. 3600	श्री मंडलनाथ छंगाणी श्रीमति सरोज श्री जेठसिंह चौहान श्री अनिल गौड श्री रुघाराम चौधरी श्री रणजीतसिंह

क्रस.	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतन श्रृंखला	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
30	क्लर्क ग्रेड-1 (वरिष्ठ लिपिक)	20	PB-1 G.P. 2800	श्री सुनील दत्त व्यास श्री अक्षय कुमार पुरोहित श्री कैलाशचंद राखेचा श्री हरिकिशन स्नेही श्री सत्यनारायण शारदा श्री महेन्द्रसिंह बरडिया श्री अनिल व्यास श्री कैलाश चंद दहिया श्री नरेश सांखला श्री अशोकचंद मूथा श्री सुनील दत्त पुरोहित श्री जितेन्द्र प्रसाद गौड श्री राजेश सिंघवी श्री श्याम सुन्दर जटिया श्री घीसूलाल श्री हेमाराम श्री रामदास सागर श्री आनन्द शर्मा श्री भंवरलाल पंवार श्री चन्द्रप्रकाश बारासा श्री नारायणराम श्री श्यामा तेजी श्रीमती राज्यश्री सांखला श्री नरेन्द्र सैन श्री नाहरसिंह गुर्जर
31	क्लर्क ग्रेड-11 (कनिष्ठ लिपिक)	29	PB-1 G.P. 2400	श्री रविन्द्र देवडा श्री जितेन्द्र डोसी श्रीमती राखी चौधरी श्री राहुत पंवार श्री अशोक सिंह शेखावत श्री महेन्द्र प्रकाश दवे श्री श्रवणलाल श्री संजय चारण श्री रोहित व्यास श्री मनीष सिसोदिया श्री मोहम्मद रिजवान श्री अशोक कुमार केसवानी श्री प्रदीप माथुर श्री सुश्री सदफ अंसारी श्रीमती कांता मिश्रा श्रीमती अनिता शर्मा श्रीमती वनिता गहलोत
32	वाहन चालक	01	PB-1 G.P. 2400	श्री बाबूलाल श्री कैलाश राव
33	मशीनमैन	02	PB-1 G.P. 2000	श्री सुरेन्द्रसिंह श्री भंवरसिंह भाटी
34	दफतरी	03	PB-1 G.P. 1750	श्री रतनसिंह

क्रस.	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतन शृंखला	निदेशालय प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी
				श्री मदन
35	जमांदार	01	PB-1 G.P. 1750	श्री मोरिस रोबिन्सन
36	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	PB-1 G.P. 1700	श्री किशोरसिंह श्री चोलाराम श्री डूगरसिंह श्री बाबूलाल परमार श्री जगदीश सीरवी श्री दौलाराम श्री मुरली श्री अब्दुल सलीम श्री मांगीलाल श्रीमती मधु शर्मा श्रीमती भंवरी देवी श्री प्रेमसिंह श्री दौलतराम श्रीमती बेबी देवी श्री नरेश जावा श्री जाकिर हुसैन श्री चैनसिंह श्री भूरसिंह श्री राजेन्द्रसिंह भाटी श्री राहुल आचार्य श्री सुरेश

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी

द्वारा प्राप्त

मासिक पारिश्रमिक

और

उसके निर्धारण की पद्धति

11. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भुगतान :-

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं भत्तों के आधार पर प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

2. प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिक कार्यों का भुगतान उन व्यक्तियों को किया जाता है जो कि परीक्षा सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करते हैं तथा वे जितना कार्य करते हैं उसका भुगतान निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान की दरों के अनुरूप किया जाता है। यह भुगतान परीक्षा आयोजन के पश्चात् किया जाता है। वर्तमान में पारिश्रमिक भुगतान की दरें राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

पारिश्रमिक भुगतान की दर

क्र.सं.	भद का नाम	वर्तमान दर
1.	पेपर सेटर (सैद्धान्तिक)	400/- प्रति प्रश्न पत्रा
2.	पेपर सेटर (प्रायोगिक)	150/- प्रति प्रश्न पत्रा
3.	परीक्षक (प्रायोगिक)	25 प्रति छात्रा (न्यूनतम 250/-) वाहन 100/-
4.	परीक्षा (उत्तर पुस्तिका)	10/- प्रति छात्रा
5.	प्रश्न पत्रा मोडरेशन	18/- प्रति छात्रा (न्यूनतम 90/-)
6.	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	100/- प्रति शिपट
7.	िवक्षक	70/- प्रति शिपट
8.	मंत्रालय कर्मचारी	45/- प्रति शिपट प्रति कर्मचारी
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30/- प्रति शिपट प्रति कर्मचारी
10.	परीक्षा परिणाम के सारणीकर्ता	150/- प्रति सौ छात्रा
11.	अंकतालिका लेखक	30/- प्रति सौ अंकतालिका
12.	डिप्लोमा/सर्टिफिकेशन लेखक	42.50/- प्रति सौ प्रमाण-पत्रा
13.	अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	75/- प्रति शिपट
14.	टेक्नीशियन/कार्यशाला परिचायक	12/- प्रतिदिन प्रति कर्मचारी
15.	मूल रोल नं. को काल्पनिक रोल नं. देना तथा काल्पनिक को पुनः रोल नम्बर में परिवर्तित करना	22.50/- प्रति सौ उत्तर पुस्तिकाएँ 225/- अतिरिक्त मुख्य गोपनीय अधिकारी
16.	परीक्षा परिणाम सारणी जांचकर्ता	52.50/- प्रति सौ छात्रा
17.	जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं के अंको की जांच कर्ता	40/- प्रति सौ उत्तर पुस्तिकाएँ
18.	डिप्लोमा प्रमाण पत्रा/अंकतालिका जांचकर्ता	15/- प्रति सौ अंकतालिका/प्रमाण-पत्रा
19.	उत्तर पुस्तिकाओं/प्रायोगिक के बण्डल को बोर्ड कार्यालय रेल्वे स्टेशन/पोस्ट ऑफिस से ले जाने तथा वापस लाने हेतु परीक्षक को एक मुश्त देय राशि	वास्तविक डाक/रेल्वे खर्च यदि कोई हो तो
20.	उड़नदस्ते के सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्ते के अतिरिक्त	उड़नदस्ते के प्रभारी अधिकारी को 150/- व कर्मचारी को 100/- यह प्रतिदिन यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते के अतिरिक्त प्रति सदस्य को मानदेय के रूप में।

अध्याय –15

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः—

1. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा के रूप में (प्रशिक्षण शाखा)

- (i) राज्य सरकार को राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास, प्रबन्धन तथा पुनर्वीक्षण सम्बन्धी समस्त मुद्दों पर नीति निर्धारण में सलाह प्रदान करेंगे ।
- (ii) विभाग के प्रधान के रूप में समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबन्धन के प्रति उत्तरदायी होंगे ।
- (iii) राज्य की जनशक्ति के दीर्घ व लघु अवधि शिल्प प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे ।
- (iv) शिल्पकार प्रशिक्षण (प्रशिक्षण शाखा) की एक वर्षीय, पंचवर्षीय योजनाएँ, आर्थिक योजना के प्रस्ताव व बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी होंगे ।
- (v) विभाग (प्रशिक्षण शाखा) के विकास संबंधी क्रिया-कलापों को प्रभावी तौर पर संचालित करेंगे तथा स्टॉफ कल्याण हेतु समस्त विषयों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करेंगे ।
- (vi) नये निजी संस्थानों के संबंधन के मानक तैयार करेंगे तथा सहायता अनुदान मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करेंगे ।
- (vii) शीर्ष निकायों (जैसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप, राजकीय तथा अराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास हेतु तथा शीर्ष निकायों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दिलाने हेतु सलाह मांगने/प्रदान करने का कार्य करेंगे ।
- (viii) राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद् एवं राज्य शिक्षुता परिषद् के निर्धारित मानकों के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण का संचालन करेंगे तथा तदनुसार अपडेटिंग तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रणाली का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगे ।

2. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः

- (i) निदेशालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग, सामंजस्य व मार्गदर्शन प्रदान करना ।
- (ii) निदेशक, (प्रशिक्षण) के अवकाश / प्रवास के दौरान निदेशालय की सामान्य कार्य व्यवस्था देखना ।
- (iii) निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा की ओर से आवश्यकतानुसार विभिन्न बैठकों, समितियों, सम्मेलनों इत्यादि में प्रतिनिधित्व करेंगे ।

3. संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षुता) प्रशिक्षण के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः

- (i) मुख्यालय जयपुर से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को राज्य में अधिनस्थ संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित करवाना, इस हेतु उद्योग प्रतिष्ठानों का सर्वे,रिसर्वे करवाना, शिक्षुओं की नियुक्ति, शिक्षुओं को मानदेय का भुगतान करवाना, शिक्षुता प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा का आयोजन करवाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच इत्यादी कार्यों से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण एवं निरीक्षण सम्बन्धित समस्त कार्य ।
- (ii) उद्योग प्रतिष्ठानों के माध्यम से शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन करवाना ।
- (iii) राज्य शिक्षुता परिषद की बैठक का आयोजन करवाना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन करवाना ।

- (iv) शिक्षता प्रशिक्षण से संबंध में आयोजित विभिन्न बैठकों, समितियों व सम्मेलनों में निदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशानुसार प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना।
- (v) शिक्षता प्रशिक्षण योजना के संबंध में समय-समय पर डीजीईएण्डटी नई दिल्ली तथा आरडीएटी फरीदाबाद द्वारा जारी निर्देशों को अधिनस्था संस्थानों/उद्योग प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करवाना तथा तदनुसार अनुपालना करवाना।

4. उप-निदेशक, (योजना) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (i) विभागीय योजनाओं की सांख्यिकी व आयोजना संबंधी समस्त कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (योजना) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

5. उप निदेशक (स्थापना) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) स्थापना शाखा संबंधित समस्त कार्य, सूचना का अधिकार संबंधी कार्य, अनुदेशक प्रशिक्षण संबंधी कार्य, अनुदेशक नियुक्ति संबंधी कार्य तथा अधिनस्थ अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण संबंधी समस्त कार्य।
- (ii) शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (स्थापना) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

6. उप निदेशक (सीटीएस) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) दस्तकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अधिनस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रवेश कार्य, विवरणिका, प्रवेश उपरान्त अनुमोदन कार्य, प्रशिक्षणार्थियों का स्थानांतरण, पाठ्यक्रमों की समीक्षा/संशोधन, नई संस्थानों की स्थापना इस हेतु एनसीवीटी संबंधन संबंधी कार्य, आरमोल, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा एस.सी., एस.टी. अल्प संख्यक व महिला संबंधी योजनाओं के समस्त कार्य, छात्रवृत्ति आदि।
- (ii) विधान सभा व लोकसभा प्रश्नों के लिये नॉडल अधिकारी का कार्य।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी जनसहभागिता योजना का कार्य।
- (iv) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रकार के आकस्मिक व नियमित निरीक्षणों की मॉनिटरिंग का कार्य।
- (v) पूर्व से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (सीटीएस) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

7. उप निदेशक (क्रय) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

प्रोजेक्ट अधिकारी (प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई)

- (i) आयोजना/आयोजना भिन्न एवं टीएडी अथवा अन्य से प्राप्त समस्त प्रकार के फण्ड्स जो कि निदेशालय को प्राप्त होते हैं, का उपयोग (यथा मशीनरी एवं साजो सामान क्रय, भवन निर्माण एवं संधारण, औद्योगिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित अन्य कार्यो इत्यादि हेतु) का उपयोग सुनिश्चित करना।
- (ii) वीटीआईपी योजना के तहत SPIU की Procurement Unit का कार्य
- (iii) SDF संबंधी क्रय का समस्त कार्य।
- (iv) केन्द्रीय भण्डार का कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व तकनीकी अधिकारी (अधीक्षक), उप निदेशक (क्रय) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

8. उप निदेशक (परीक्षा) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- (i) दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा संबंधी समस्त कार्य, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करवाकर परीक्षा परिणाम जारी करना, अंकतालिकाएँ एवं प्रमाण-पत्र जारी करना, इत्यादी।
- (ii) आरसीवीईटी द्वारा सम्पादित समस्त कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (परीक्षा) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।

- 9. उप निदेशक (स्कीमस अदर देन सीटीएस) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:**
- (i) सीओई (डोमेस्टिक), सीओई 1396 (पीपीपी) व वीटीआईपी योजना के अन्तर्गत आईडीपी, मॉनिटरिंग एवं इवैल्युशन संबंधित समस्त कार्य।
 - (ii) एसडीआई योजना, राज्य में **ATI** स्थापना, संस्थान विकास कोष, राष्ट्रीय/राज्य स्किल डवलपमेन्ट मिशन, उत्पादन केन्द्र योजना एवं शिक्षुता प्रशिक्षण योजना संबंधी कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक व अधीक्षक, उप निदेशक (सीटीएस के अलावा) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।
- 10. उप निदेशक प्रशिक्षण (भूमि एवं भवन), प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:**
- (i) विभागीय संस्थानों हेतु भूमि का आवंटन व भवन निर्माण संबंधी कार्य।
 - (ii) उद्योग प्रतिष्ठानों के साथ होने वाले एमओयू संबंधी कार्य, निर्माण एकेडमी संबंधी कार्य।
 - (iii) राज्य स्तरीय बैठकों का फोलोअप इत्यादी कार्य।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (भूमि एवं भवन), के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।
- 11. उप निदेशक (ITCell) प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:**
- (i) विभाग की सूचना तकनीकी संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना व क्रियान्वित करना जिसमें **Web Site** का निर्माण व संधारण करना।
शाखा में पदस्थापित सहायक निदेशक, उप निदेशक (ITCell) के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।
- 12. वित्तीय सलाहकार, प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:**
- समस्त वित्तीय मामलों में वित्तीय सलहाकार, अधिनस्थ सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के सहयोग करेंगे। जिसमें विभाग का बजट तैयार करना, बीएफसी में बजट आवंटन करवाना, आंतरिक निरीक्षण करवाना, महालेखाकार राजस्थान के कार्यालय में लेखों का समाधान करना, सीएजी प्रतिवेदन, चोरी/गबन प्रकरण, विनियोग लेखे, ओ.बी. आईटम, तत्यात्मक प्रतिवेदन, ड्राफ्ट पैरा, जनलेखा समिति व ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट, पीडी खाते, संस्थान विकास कोष एवं विविध कार्य, प्रि-चैक कार्य, लेखा राय, वेतन स्थिरीकरण प्रकरण, भौतिक सत्यापन, निलामी संबंधी कार्यवाही वार्षिक कार्य मूल्यांकन, पेंशन संबंधी प्रमाण-पत्र स्थापना संबंधी कार्य, अंक मिलान कार्य, क्रय या प्रकरण की जाँच, 1396 ऑडिट कार्य, टज्च योजना के तहत च्च की थपदंदबम न्दपज का कार्य, महालेखाकार, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान तथा आंतरिक ऑडिट पार्टी की निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्यवाही करना।अंतिम अधिक्य/बचत विवरणों को प्रस्तुत करना।वेतन स्थितिकरण मामलों का निष्पादन करना।वित्त संबंधी समस्त मामलों पर निदेशक प्राविधिक शिक्षा को परामर्श देना।
- शाखा में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में सौंपे गये कार्य करेंगे।
- 13. उप निदेशक, प्रशिक्षण (प्रभारी विधि शाखा) के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व**
- (i) विभाग के समस्त न्यायिक प्रकरणों से संबंधित कार्य, जिसमें कानूनी राय, प्रकरणों पर पैरवी करना, प्रकरणों से संबंधित सभी पत्रावलियों का संधारण इत्यादी।
- 14. कार्यालयाध्यक्ष**
- (i) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय व्यवस्थापन संबंधित समस्त कार्य जिसमें मुख्यालय पर पदास्थापित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश, स्वीकृति, वेतन, सेवा रिकार्डस का संधारण इत्यादी।

नोट :- निदेशालय के उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 14 अधिकारी निदेशक (प्रशिक्षण) के निर्देशन में विद्यमान नियमों, निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत निम्नानुसार कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

अध्याय –16

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) के विभिन्न कार्यक्रम जो कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपलब्ध हैं:-

परीक्षा परिणाम:-

सभी व्यवसायों के एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी. परीक्षा परिणाम

अध्याय –17 (मैनुअल –16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

7.1 सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण :

- 0 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय
- 0 अखबारों के द्वारा
- 0 सूचना पट्ट
- 0 अभिलेखों का निरीक्षण
- 0 दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- 0 उपलब्ध विभागीय प्रगति प्रतिवेदन
- 0 निदेशालय की वेबसाईट <http://dte.rajasthan.gov.in>

अध्याय –18

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण शाखा) से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर :-

परीक्षा परिणाम – परीक्षा परिणाम एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0 अनुसार
नियम व नियमन– प्रशिक्षण नियमावली डी0जी0ई0टी0 ट्रेनिंग मैनुअल अनुसार
परीक्षा परिणाम समाचार पत्रों के माध्यम से तथा नोटिस बोर्ड पर व वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

18.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

- 1 आवेदन पत्रा :-
प्रार्थना पत्रा या आवेदन पत्रा निर्धारित प्रारूप में निदेशक महोदय के नाम
- 2 शुल्क:-
प्रार्थना पत्रा शुल्क व प्रतिलिपि शुल्क अध्याय 1 के पैरा / बिन्दु 1.7 के अनुसार
- 3 सूचना आवेदन पत्रा पर किस तरह से मांगी जाये- कुछ टिप्स:
निर्धारित प्रारूप में निदेशक महोदय के नाम चाही गयी सूचना को लिखकर व अपना नाम, पता फोन नम्बर इत्यादि दर्शाते हुए प्रार्थना पत्रा पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जा सकती है।
- 4 सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया:
निर्धारित प्रारूप में निदेशक महोदय के नाम चाही गयी सूचना को लिखकर व अपना नाम एवं पता फोन नम्बर इत्यादि दर्शाते हुए प्रार्थना पत्रा पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थना पत्रा शुल्क उप शासन सचिव गृह (ग्रुप 5) विभाग जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ9 (23) (ग्रुप 5) / 2005 दिनांक 12.10.2005 में दर्शाये अनुसार ।